"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2007—पौष 18, शक 1929

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-61/2006/वा.कर (पं.)/पांच (49).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक-818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24-02-1975 में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के मद 47 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ा जाए, अर्थात् :—

48. राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन की "अटल आवास योजना" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के पक्ष में निष्पादित विक्रय/पट्टे की लिखतों पर तथा बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने हेतु निष्पादित बंधक विलेखों पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, प्रभार्य पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करती है :—

(एक) क्रेता/पट्टेदार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो तथा उसके स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अपना कोई भूमि/मकान न हो ;

(दो) क्रेता/पट्टेदार के परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय भू-खण्ड/मकान आवंटन की तारीख को, रुपये 60000/- (साठ हजार रु.) से अधिक न हो ;

(तीन) भू-खण्ड और निर्मित मकान का कुल क्षेत्रफल क्रमशः 560 वर्गफुट तथा 280 वर्गफुट से अधिक न हो ;

(चार) भू-खण्ड सहित मकान की कुल कीमत रुपये 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) से अधिक न हो ;

(पांच) क्रेता/पट्टेदार द्वारा गृह निर्माण मण्डल से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि- क्रेता/पट्टेदार उपरोक्त कंडिका (एक) से (चार) में उल्लेखित निर्दिष्ट समस्त शर्तों को पूरा करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-61/2006/वा.कर (पं.)/पांच (49).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-61/2006/वा.कर (पं.)/पांच (49), दिनांक 29-12-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th December 2007

NOTIFICATION

No. F 1-61/2006/CT(R)/V (49).—In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in the notification No. 818-635-V-S.R., dated 24-02-1975 from the date of its publication in the official Gazette :-

AMENDMENT

In the said notification, after item 47 of the table of Registration Fees, under the sub-heading exemption and reduction, following item shall be added, namely :-

(48) State Government hereby remits registration fees chargeable on instruments of Sale/Lease, and instrument of mortgage to get loan from Bank/Financial institution, executed by the Chhattisgarh Housing Board in favour of beneficiaries of the economically weaker section under the "ATAL AWAS SCHEME" of Chhattisgarh Government , subject to the following conditions :-

(i) the purchaser/lessee belongs to economically weaker section and he/his family does not own any other land/building.

(ii) the total annual income of the family of the purchaser/lessee from all resources does not exceed Rs. 60,000 (Rupees Sixty Thousands) on the date of allotment of the land/building.

(iii) the total area of the plot & building constructed thereon should not exceed 560 Sqft. & 280 Sqft. respectively.

(iv) the cost of plot together with building thereon does not exceed Rs. 1,10,000 (Rupees One Lakh Ten Thousands).

(v) the purchaser/lessee produces a certificate from the Grah Nirman Mandal narrating that the purchaser/lessee fulfill all the conditions stated in clause (i) to (iv) specifically.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-61/2006/वा.कर (पं.)/पांच (50).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा :—

(1) अटल आवास योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पक्ष में निष्पादित विक्रय/पट्टों ;

(2) प्रतिफल/प्रीमियम की राशि भुगतान के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में निष्पादित बंधक विलेखों पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(एक) क्रेता/पट्टेदार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो तथा उसके स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई भूमि/मकान न हो ;

(दो) क्रेता/पट्टेदार के परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय भू-खण्ड/मकान आवंटन की तारीख को, रुपये 60000/- (साठ हजार रु.) से अधिक न हो ;

(तीन) भू-खण्ड और निर्मित मकान का कुल क्षेत्रफल क्रमश: 560 वर्गफुट तथा 280 वर्गफुट से अधिक न हो ;

(चार) भू-खण्ड सहित मकान की कुल कीमत रुपये 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) से अधिक न हो ;

(पांच) क्रेता/पट्टेदार द्वारा गृह निर्माण मण्डल से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि- क्रेता/पट्टेदार उपरोक्त कंडिका (एक) से (चार) में उल्लेखित शर्तों को पूर्ण करता है.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-61/2006/वा.कर (पं.)/पांच (50).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-61/2006/वा.कर (पं.)/पांच (50), दिनांक 29-12-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 29th December 2007

NOTIFICATION

No. F 1-61/2006/CT(R)/V (50).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) the State Government hereby remits the stamp duty chargeable on instruments of :-

(1) Sale/Lease, executed by the Chhattisgarh Grah Nirman Mandal in favour of persons belonging to economically weaker section under the "Atal Awas Yojna".

(2) Mortgage deeds executed in favour of Bank/Financial Institutions for obtaining loan to pay the amount of consideration/premium subject to the following conditions namely :-

(i) the purchaser/lessee belongs to economically weaker section and he/his family does not own any other land/building.

(ii) the total annual income of the family of the purchaser/lessee from all resources does not exceed Rs. 60,000 (Rupees Sixty Thousands) on the date of allotment of the land/building.

(iii) the total area of the plot & building constructed thereon should not exceed 560 Sqft. & 280 Sqft. respectively.

(iv) the cost of plot together with building thereon does not exceed Rs. 1,10,000 (Rupees One Lakh Ten Thousands).

(v) the purchaser/lessee produces a certificate from the Grah Nirman Mandal narrating that the purchaser/lessee fulfill all the conditions stated in clause (i) to (iv) specifically.

It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.